



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06122024-259227
CG-DL-E-06122024-259227

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4866]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 6, 2024/अग्रहायण 15, 1946

No. 4866]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 6, 2024/AGRAHAYANA 15, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5259(अ).—केंद्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 2 के खंड (प) और धारा 24 की उपधारा (8) के साथ पठित धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 46 की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र भाग-2, खंड-3, उपखंड (ii) का.आ. 688(अ) तारीख 6 मार्च, 2014 को अधिकांत करते हुए, उन बातों के सिवाय जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित उप विधि सलाहकारों और सहायक विधि सलाहकारों को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन विशेष न्यायालयों के समक्ष प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पूरे भारत में सभी मामलों का संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात् –

1. सुश्री सोनाली जी बधे, उप विधि सलाहकार;
2. श्री बी. नवीन कुमार, उप विधि सलाहकार;
3. श्री डी एस भरत कुमार, उप विधि सलाहकार;

4. श्री जी. एन. घोष, उप विधि सलाहकार;
5. श्री अरविंद कुमार शुक्ला, उप विधि सलाहकार;
6. श्री जे. जैस्पर जैकब पोनराज, उप विधि सलाहकार;
7. श्री अंकित खन्ना, सहायक विधि सलाहकार;
8. श्री गौरव सैनी, सहायक विधि सलाहकार;
9. श्री गौरव दत्त शर्मा, सहायक विधि सलाहकार;
10. श्री विजय कुमार मीना, सहायक विधि सलाहकार;
11. श्री मयंक मखीजा, सहायक विधि सलाहकार;

[फा. सं. सी-18016/3/2022-एडी.ईडी]

राजीव लोचन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2024

S.O. 5259(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 46 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) read with clause (u) of Section 2 and sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Finance, (Department of Revenue) published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, sub-section (ii) vide no. S.O. 688(E) dated 6th March, 2014 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the following Deputy Legal Advisors and Assistant Legal Advisors as Special Public Prosecutors for conducting all cases on behalf of the Directorate of Enforcement before Special Courts under the Prevention of Money Laundering Act, 2002, throughout India, namely:-

1. Ms. Sonali G Badhe, Deputy Legal Advisor;
2. Shri B. Naveen Kumar, Deputy Legal Advisor;
3. Shri D S Bharat Kumar, Deputy Legal Advisor;
4. Shri G. N. Ghosh, Deputy Legal Advisor;
5. Shri Arvind Kumar Shukla, Deputy Legal Advisor;
6. Shri J. Jasper Jacob Ponraj, Deputy Legal Advisor;
7. Shri Ankit Khanna, Assistant Legal Advisor;
8. Shri Gaurav Saini, Assistant Legal Advisor;
9. Shri Gaurav Dutt Sharma, Assistant Legal Advisor;
10. Shri Vijay Kumar Meena, Assistant Legal Advisor;
11. Shri Mayank Makhija, Assistant Legal Advisor;

[F. No. C-18016/3/2022-Ad.ED]

RAJEEV LOCHAN, Under Secy.